A-4
1

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– उमर दीन खान
आई.ए.एस

अपील संख्या 45 / 2019

शिशपाल पुत्र खडगाराम, जाति जाट निवासी ग्राम रघुनाथपुरा, तहसील सूरजगढ, जिल
झुंझुनूं (राज0)

—— अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सूरजगढ, तहसील सूरजगढ जिल
झुंझुनूं।

—— रेस्पोडेन्ट

——

अपील अ0धा0 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश दिनांक 05.07.2019 प्रकरण
सं0 1 / 2019 उनवानी सरकार बनाम शिशपाल द्वारा तहसीलदार सूरजगढ

——

उपस्थित

1. श्री अमित कुमार, एडवोकेट, अपीलांट की ओर से
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक, रेस्पोडेंट की ओर से

आदेश

दिनांक 24.08.202

उक्त विषयक अपील विद्वान तहसीलदार सूरजगढ के आदेश दिनांक 05.07.2020 के विरू
प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में विवरण अपील अपीलान्ट के अनुसार निम्नानुसार है कि अपीलान्ट
खेत ख0न0 172, 173 वाके ग्राम रघुनाथपुरा तहसील सूरजगढ मे काफी वर्षो पुराना कुआं है जि
पर विघुत कनेक्शन है तथा उसी के साथ का काफी वर्षो पुराना बोरिंग था। तहसीलदार सूरजग
द्वारा माननीय जिला कलेक्टर झुंझुनूं के आदेश दिनांक 30.05.2019 की पालना मे अपीलान्ट के पुरा
बोरिंग को पुनः सीज करने का निर्णय दिनांक 05.07.2019 को पारित कर दिया। तहसीलदा
सूरजगढ के निर्णय दिनांक 05.07.2019 के विरूद्व यह अपील निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तु

जिला कलक

है–इस प्रकरण मे तहसीलदार सूरजगढ द्वारा जो जांच पटवारी से करवाई गयी उस रिपोर्ट मे कह
भी यह दर्ज नही है कि किस आधार पर अपीलान्ट के पुराने बोरिंग को डार्क जोन घोषित होने
बाद का माना गया है। तहसीलदार सूरजगढ के निर्णय मे भी इस संबंध मे कोई आधार दर्ज नह
किया गया है। इस प्रकरण मे पटवारी द्वारा जो मौका रिपोर्ट दिनांक 04.07.2019 प्रस्तुत हुई
उसके उपर जिस कन्हैयालाल के हस्ताक्षर है उसकी मृत्यु 4 वर्ष पूर्व हो चुकी है। अन्य व्यक्ति सुमे
सिंह इत्यादि ने भी मौके पर किसी प्रकार की जांच होने से इंकार किया है। अपील के साथ सुमे
सिंह का शपथ पत्र प्रस्तुत है। पटवारी रिपोर्ट के साथ केसर भी व्यक्ति के बयान नही है जिस
बताया हो कि विवादित बोरिंग डार्क जोन घोषित होने के बाद बना हुआ है। अतः स्पष्ट है कि मौ
रिपोर्ट कार्यालय मे बैठकर राजनैतिक द्वैषता वश तैयार की गई है। तहसीलदार सूरजगढ द्वा
दिनांक 31.12.2018 को जो आदेश किया गया उससे पूर्व ना ही मौके की कोई जांच रिपोर्ट ली ग
तथा ना ही स्वयं द्वारा मौका देखा गया। तहसीलदार ने आदेश पूर्व मे कर दिया तथा मौके
रिपोर्ट बाद मे ली गई। मौके पर अपीलान्ट का 30 वर्ष पुराना कुआं है तथा उसी मे पानी कम हो
पर काफी वर्षो पूर्व बोरिंग किया गया था। वर्तमान मे मौके पर कोई अवैध बोरिंग नही किया ग
है। पटवारी काकोडा द्वारा दिनांक 04.07.2019 को मौके पर जांच करने के संबंध मे अपीलान्ट
ना तो कोई नोटिस दिया गया एवं ना ही सुना गया तथा ना ही रिपोर्ट मौके पर प्रार्थी की उपस्थि
मे तैयार की गई। अतः अपील पेश कर माननीय न्यायालय से निवेदन है कि तहसीलदार सूरजग
के निर्णय दिनांक 05.07.2019 को निरस्त किया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील तथ
की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि तहसीलदार सूरजगढ का आदेश विधिसम्मत नही
प्रकरण मे तहसीलदार सूरजगढ द्वारा जो जांच पटवारी से करवाई गयी उस रिपोर्ट मे कहीं भी
दर्ज नही है कि किस आधार पर अपीलान्ट के पुराने बोरिंग को डार्क जोन घोषित होने के बाद
माना गया है। तहसीलदार सूरजगढ के निर्णय मे भी इस संबंध मे कोई आधार दर्ज नही किया ग
है। इस प्रकरण मे पटवारी द्वारा जो मौका रिपोर्ट दिनांक 04.07.2019 प्रस्तुत हुई है उसके उ
जिस कन्हैयालाल के हस्ताक्षर है उसकी मृत्यु 4 वर्ष पूर्व हो चुकी है। अन्य व्यक्ति सुमेर सि
इत्यादि ने भी मौके पर किसी प्रकार की जांच होने से इंकार किया है। पटवारी रिपोर्ट के स
केसर भी व्यक्ति के बयान नही है जिसने बताया हो कि विवादित बोरिंग डार्क जोन घोषित होने
बाद बना हुआ है। मौका रिपोर्ट कार्यालय मे बैठकर राजनैतिक द्वैषता वश तैयार की गई
तहसीलदार सूरजगढ द्वारा ना ही मौके की कोई जांच रिपोर्ट ली गई तथा ना ही स्वयं द्वारा मौ
देखा गया। मौके पर अपीलान्ट का 30 वर्ष पुराना कुआं है तथा उसी मे पानी कम होने पर का
वर्षो पूर्व बोरिंग किया गया था। वर्तमान मे मौके पर कोई अवैध बोरिंग नही किया गया है। पटव
काकोडा द्वारा दिनांक 04.07.2019 को मौके पर जांच करने के संबंध मे अपीलान्ट को ना तो
नोटिस दिया गया एवं ना ही सुना गया तथा ना ही रिपोर्ट मौके पर प्रार्थी की उपस्थिति मे तै
की गई। अतः अपील पेश कर माननीय न्यायालय से निवेदन है कि तहसीलदार सूरजगढ के नि
दिनांक 05.07.2019 को निरस्त किया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट के तर्को
विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि प्रकरण पूर्व मे तहसीलदार सूरजगढ को रिमाण्ड किया
था। सीज किया हुआ बोरिंग डार्क जोन घोषित होने के बाद का जुलाई–अगस्त 2018 मे बना
जबकि इसके पास बना हुआ कुआं डार्क जोन घोषित होन से पूर्व का बना हुआ है। विधुत कनेक

जिला

A-4/3

कुऐं का ही है जिसे वर्तमान मे बोरिंग पर लगा लिया गया है। राजस्व रिकार्ड मे कुआ और बोरिंग का इन्द्राज नही है। अवैध बोरिंग अतः अपीलान्ट की अपील निराधार एवं सारहीन होने से खारीज योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट खारीज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अवलोकन से यह तथ्य साफ है कि ग्राम रघुनाथुपरा के खसरा नम्बर 172, 173 में कुआं बना हुआ है जो पुराना है। अपीलान्ट का कथन है कि उक्त कुऐं में पानी कम हो जाने के बाद उसके द्वारा बोरिंग किया गया है जो डार्क जोन से पूर्व का बना है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 04.07.2019 के अनुसार अपीलान्ट द्वारा किया गया बोरवेल डार्क जोन घोषित होने के बाद का बना है तथा उक्त पुराने कुऐं के कनेक्शन को अपीलान्ट द्वारा नये बोरवेल पर लगा लिया है। अपीलान्ट द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रसीद से यह सिद्ध नहीं होता की उसके द्वारा किया गया बोरवेल डार्क जोन से पहले का बना है। इसके अलावा अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य सबुत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है जिससे अपीलान्ट के कथनों की पुष्टि की जा सकें। अपीलान्ट अपना पक्ष प्रस्तुत करने में असफल रहे है। अपीलान्ट की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 24.08.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
24/08/20

जिला कलेक्टर झुं